

परिशिष्ट 9

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994'

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना
2. सिंचाई परिव्यय की दर
3. विखण्डन और अपवाद

अनुसूची

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह ऐसे सभी परिव्ययों (जिसके अन्तर्गत रबी 1402 फसली वर्ष के लिए भी परिव्यय है) के सम्बन्ध में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् वसूल किये जा सकेंगे, लागू होगी।

2. सिंचाई परिव्यय की दर—(1) इस नियमावली की अनुसूची-एक, दो और तीन में प्रत्येक के स्तम्भ 2 में अंकित फसलों के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश के राजकीय नहर प्रणाली (राजकीय नलकूपों को छोड़कर) के लिए सिंचाई परिव्यय की दरें वहीं होंगी जो उस फसल के सामने उसके स्तम्भ 3 या 4 में तोड़ सिंचाई या डाल सिंचाई के लिए उल्लिखित हैं। ये दरें दो सिंचाइयों तक लागू होंगी और दो से अधिक सिंचाइयों के लिए ये दरें उक्त दरों के 1.25 गुणा होंगी; परन्तु यह कि वर्ष 1994-95 (1402 फसली) के लिए दो से अधिक सिंचाइयों के लिए अनुसूचियों में उल्लिखित दरों में वृद्धि नहीं होगी।

3. विखण्डन और अपवाद—उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1983 को तदधीन अर्जित, प्रोद्भूत, उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या की गयी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है।

अनुसूची—एक

(नियम 2 देखिए)

दर रुपए प्रति हेक्ट०/फसल

नहर प्रणाली का नाम	फसलों के नाम	अन्य कृषकों के लिए		लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए	
		तोड़ सिंचाई	डाल सिंचाई	तोड़ सिंचाई	डाल सिंचाई
1	2	3	4	5	6
1. ऊपरी गंगा नहर	गन्ना, आलू और तम्बाकू	480.00	430.00	360.00	320.00
2. निचली गंगा नहर	धान, तरकारियाँ, बाग (प्रति फसल) सिंचाड़ा और पोस्ता	290.00	260.00	220.00	200.00

1. यह नियमावली अधिसूचना संख्या-4417/96-27-1-4-2-रे०-94, दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 द्वारा पारित की गयी तथा उ० प्र० असाधारण गजट, भाग 4, खण्ड (क) में दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 को प्रकाशित हुई

1	2	3	4	5	6
3. पूर्वी यमुना नहर	गेहूँ, जौ और गेहूँ या जौ से मिश्रित फसलें	290.00	260.00	220.00	200.00
4. आगरा नहर	—	—	—	—	—
5. शारदा नहर	—	—	—	—	—
6. शारदा सहायक नहर	कपास, अन्य खरीफ और चारा फसलें	175.00	160.00	130.00	120.00
7. गण्डक नहर	—	—	—	—	—
8. दून नहर	अन्य रबी और चारा फसलें	210.00	190.00	160.00	140.00
9. बेलन नहर	हरी खाद	70.00	65.00	50.00	45.00
10. केन नहर (केवल धान)	—	—	—	—	—
11. बेतवा नहर और गुरु सराय नहर	—	—	—	—	—
12. राम गंगा नहर	—	—	—	—	—
13. अफजलगढ़ नहर	—	—	—	—	—
14. गढ़मऊ नहर	—	—	—	—	—
15. वे सभी पम्प नहरें जिन पर स्थायी पम्प- गृहों का निर्माण किया गया है और वे पम्प नहरें जो उपरोक्त प्रणालियों में जल वृद्धि करती हैं	—	—	—	—	—

अनुसूची—दो

(नियम 2 देखिए)

नहर प्रणाली का नाम	फसलों के नाम	दर रुपए प्रति हेक्ट०/फसल			
		अन्य कृषकों के लिए		लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए	
		तोड़ सिंचाई	डाल सिंचाई	तोड़ सिंचाई	डाल सिंचाई
1	2	3		4	
1. तुमरिया नहर	गन्ना, आलू और तम्बाकू	480.00	430.00	360.00	320.00
2. पीली नहर (ललितपुर)	धान, तरकारियाँ, बाग (प्रति फसल) सिंघाड़ा और पोस्ता	175.00	160.00	130.00	120.00
3. रानीपुर नहर	—	—	—	—	—

1	2	3		4	
4. बाल्मीकी नहर (ओहेन बाँध)	गेहूँ, जौ और अन्य मिश्रित फसलें	175.00	160.00	130.00	120.00
5. जामिनी नहर (ललितपुर)	कपास, अन्य खरीफ और चारा	100.00	90.00	80.00	70.00
6. बानगंगा नहर	अन्य रबी और चारा	115.00	105.00	90.00	80.00
7. रोहिनी नहर	हरी खाद	30.00	25.00	25.00	20.00
8. डाण्डा नहर	—	—	—	—	—
9. गुलरिया नहर	—	—	—	—	—
10. भगवानपुर सरोवर (गोण्डा)	—	—	—	—	—
11. कल्लूवाला बाँधी (बिजनौर)	—	—	—	—	—
12. जमालपुर ताल (ललितपुर)	—	—	—	—	—
13. बुचेहरा ताल (ललितपुर)	—	—	—	—	—
14. रामपुर नहरें	—	—	—	—	—
15. रुहेलखण्ड नहरें	—	—	—	—	—
16. धसान नहर	—	—	—	—	—
17. पाहुज नहर	—	—	—	—	—
18. घागर, कर्मनाशा और गरई नहर	—	—	—	—	—
19. केन नहर (धान के अतिरिक्त)	—	—	—	—	—
20. अनुसूची-एक के पम्प नहरों के अतिरिक्त शेष पम्प नहरें	—	—	—	—	—

अनुसूची—तीन
(नियम 2 देखिए)

नहर प्रणाली का नाम	फसलों के नाम	दर रुपए प्रति हेक्टर/फसल			
		अन्य कृषकों के लिए		लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए	
		तोड़ सिंचाई	डाल सिंचाई	तोड़ सिंचाई	डाल सिंचाई
1	2	3		4	
1. ललितपुर नहर (ललितपुर)	गन्ना, आलू और तम्बाकू	240.00	215.00	150.00	160.00
2. बरवार नहर	धान, तरकारियाँ, बाग (प्रति फसलें) सिंघाड़ा और पोस्ता	130.00	115.00	100.00	90.00

1	2	3	4	5	6
3. अर्जुन नहर	गेहूँ, जौ और अन्य मिश्रित फसलें	130.00	115.00	100.00	90.00
4. कवराई नहर	—	—	—	—	—
5. केओलरी नहर	कपास, अन्य खरीफ और चारा	70.00	65.00	50.00	45.00
6. बरवा नहर	—	—	—	—	—
7. कमल खेड़िया और पिण्डारी नहर	अन्य रबी और चारा	70.00	65.00	50.00	45.00
8. धारी नहर	हरी खाद	30.00	25.00	25.00	20.00
9. निकोपा नहर	—	—	—	—	—
10. पथरवा नहर	—	—	—	—	—
11. बेगूगंज नहर	—	—	—	—	—
12. सुखरा ताल नहर	—	—	—	—	—
13. सियावरी नहर	—	—	—	—	—
14. हिमायां बाँधी (वाराणसी)	—	—	—	—	—
15. भौंका बाँधी (वाराणसी)	—	—	—	—	—
16. मझगाँवां जलाशय (हमीरपुर)	—	—	—	—	—
17. जगनेर बाँधी (आगरा)	—	—	—	—	—
18. उनके जो अनुसूची-एक एवं दो में उल्लिखित हैं, के अतिरिक्त जलाशयों और झीलों से भरी जाने वाली अन्य सभी नहरें तथा अनुसूची-चार (1983 की नियमावली की अनुसूची) के क्रम संख्या 3 एवं 4 की प्रणालियाँ।	—	—	—	—	—